

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 06/20 (वाद)

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री अम्बालाल पिता डालचन्द खटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
2. श्री अर्जुनलाल पिता डालचन्द खटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
3. श्रीमती लक्ष्मी पिता डालचन्दखटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
4. श्रीमती यशोदा पिता डालचन्द खटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
5. श्रीमती शोभा पिता डालचन्द खटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
6. श्रीमती रामीबाई पत्नी डालचन्दखटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
7. श्री वृषभ पिता माणकचन्द खटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
8. श्रीमती उषा पिता माणकचन्द खटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
9. श्रीमती प्रेमलता पत्नी माणकचन्द खटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
10. उपवन संरक्षक (उत्तर) वन विभाग , उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. राजपेरोकार, तहसीलदार मावली वादी।
2. राजपेरोकार, प्रतिवादी सं. 10।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
:: निर्णय ::

दिनांक 18.08.2020

1. वादी द्वारा वादपत्र अतन्तर्गत धरा 88 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नाहरमगरा पटवार हल्का नाहरमगरा की आ.न. 5105/369, 4943/369 किता 2 रकबा 182 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात वर्तमान में राजस्व रेकार्ड मे आ.न. 5105/369 रकबा 179बीघा 15 बिस्वा वनखण्ड नाहरमगरा एवं आ.न. 4964/369 रकबा 3 बीघा भूमि खातेदार श्री अम्बालाल, अर्जुनलाल, लक्ष्मी, यशोदा, शोभा पिता डालचन्द, रामीबाई बेवा डालचन्द 6/7, हि.ब. वृषभ, उषा पिता माणकचन्द, प्रेमलता पत्नी माणकचन्द 1/7 हि.ब. खटीक सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड है।

2. मौजा कुण्डाल, पटवार हल्का नाहरमगरा में आ.न. 5106/1438 कुल रकबा 185 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में वनखण्ड नाहरमगरा के नाम दर्ज है। पटवारी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ग्राम नाहरमगरा के आ.न. 4943/369 रकबा 3 बीघा की तरमीम करते पाया कि खातेदार श्री अम्बालाल, अर्जुनलाल, लक्ष्मी, यशोदा, शोभा पिता डालचन्द, रामीबाई बेवा डालचन्द 6/7, हि.ब. वृषभ, उषा पिता माणकचन्द, प्रेमलता पत्नी माणकचन्द 1/7 हि.ब. खटीक सा.देह की आराजी खाता सं. 4 पर दर्ज होकर नाहरमगरा के खातेदार है परन्तु उक्त आराजी ग्राम नाहरमगरा के आ.न. 369 से बना होने से खातेदार का कब्जा जांच की गई तो खातेदार का कब्जा आ.न. 369 में नहीं पाया जाकर ग्राम कुण्डाल के आराजी नम्बर 1438 में पाया गया।
3. आवंटन की पत्रावली अनुसार उक्त भूमि श्री डालचन्द पिता भगवान खटीक निवासी नाहरमगरा को आवंटन हुई थी। उक्त आ.न. 369 में आवंटन सन 1971 में किया गया था। आ.न. 369 पैमाईश से पहले का होकर साबिक नम्बर है। अतः पट्टा में आ.न. 369 दर्ज है परन्तु आवंटी को कब्जा सुपुर्दगी सन् 1975 में की गई तब तक पैमाईश का नया रेकार्ड आ चुका था। तत्कालीन पटवारी द्वारा साबिक आ.न. 369 से हाल नम्बर 1438 में आवंटी को कब्जा सुपुर्द किया गया, परन्तु पटवारी द्वारा पट्टा का नामान्तरकरण साबिक नम्बर 369 से किया गया। जबकि कब्जा सुपुर्दगी साबिक नम्बर 369 से बने नये नम्बर 1438 में की गई जहा पर आवंटी का कब्जा है। कब्जा सुपुर्दगी एवं आवंटन के समय मूल गांव नाहरमगरा ही था परन्तु सन 2000 में नाहरमगरा के बिलानाम हाल आ.न. 369, 1438, 1440, 2615 आदि आराजी को वन खण्ड नाहरमगरा घोषित करते हुए वन विभाग के नाम दर्ज हो गये। सन् 2008 में मूल गांव नाहरमगरा के अलावा तीन नये गांव धुणीमाता, बजाजनगर, कुण्डाल बनाये गये। साबिक नम्बर 369 से नामान्तरकरण दर्ज होने से खातेदारों की भूमि नाहरमगरा में दर्ज हो गयी एवं कब्जा सुपुर्दगी हाल नम्बर 1438 में होने से कब्जा आराजी नये राजस्व ग्राम कुण्डाल में दर्ज हो गय है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है, क्योंकि राज्य सरकार की योजना डीआईएलआरएमपी के अन्तर्गत जमाबन्दी सेग्रीगेशन एवं तरमीम का कार्य रूका हुआ है।
4. खातेदार श्री अम्बालाल, अर्जुनलाल, लक्ष्मी, यशोदा, शोभा पिता डालचन्द, रामीबाई बेवा डालचन्द 6/7, हि.ब. वृषभ, उषा पिता माणकचन्द, प्रेमलता पत्नी

माणकचन्द 1/7 हि.ब. खटीक सा.देह का खाता में दर्ज आराजी नम्बरा 4943/369 रकबा 3 बीघा को ग्राम नाहरमगरा से विस्थापित करने हेतु खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाई जाना एवं ग्राम कुण्डाल के आराजी संख्या 5106/1438 में कम होने वाला रकबा ग्राम नाहरमगरा की आराजी सं. 5105/369 वन विभाग में जोड़ा जाने की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाना अवश्यक है जिससे वन विभाग का मूल रकबा बराबर बना रहे।

5. वाद कारण दिनांक 31.12.2019 को डी.आई.एल.आर.एम.पी के अन्तर्गत जमाबन्दी सेग्रीगेशन एवं तरमीम का कार्य रूका हुआ तब से निरन्तर जारी है।
6. अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री फरमाई जावे की खातेदार श्री अम्बालाल, अर्जुनलाल, लक्ष्मी, यशोदा, शोभा पिता डालचन्द, रामीबाई बेवा डालचन्द 6/7, हि.ब. वृषभ, उषा पिता माणकचन्द, प्रेमलता पत्नी माणकचन्द 1/7 हि.ब. खटीक सा.देह का खाता में दर्ज आराजी नम्बर 4943/369 रकबा 3 बीघा को ग्राम नाहरमगरा से विस्थापित कर ग्राम कुण्डाल के आराजी संख्या 5106/1438 में प्रतिस्थापित किए जाने की खातेदारी अधिकार की घोषणा की जावे, ग्राम कुण्डाल के आराजी संख्या 5106/1438 में कम होने वाला रकबा ग्राम नाहरमगरा की आ.न. 5105/369 वन विभाग में जोड़ा जावे जिससे वन विभाग का मूल रकबा बना रहे।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 4, 5, 9 द्वारा स्वीकरात्मक जवाब पेश किया। प्र.स. 6 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके द्वारा एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 10 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि भूमि वनखण्ड के नाम दर्ज है वह सही रूप से दर्ज है, अमलदरामद नहीं होने के कारण वनखण्ड का रकबा जो इन गांवों में शामिल हुआ था वो अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज हो गया है जो नियमानुसार सही नहीं है। वादी को किया गया आवंटन निरस्त कर इन खसरो को वनखण्ड के नाम दर्ज किया जावे। जो भूमि वनखण्ड के नाम दर्ज हो जाती है वह भूमि अन्य के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है। वादी द्वारा बताये गये खसरे वन विभाग के है अतः उन्हे वन विभाग के खसरे मानते हुए तरमीम कार्य किया जावे। तरमीम का कार्य करवाते समय हमारे कार्यालय के सर्वेयर को भी सूचित किया जावे, ताकि वन विभाग का पक्ष रख सके।

8. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा। अतः प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता राजपैरोकार व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता राजपैरोकार द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं डी.आई.एल.आर.एम.पी के अन्तर्गत जमाबन्दी सेग्रीगेशन एवं तरमीम का कार्य रूका हुआ है अतः आवश्यक प्रकृति का मामला होने से आज ही निस्तारित कर वाद को स्वीकार कर डिक्री किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं जवाब अनुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया। आराजी नम्बर 369 से सन् 1971 को विभिन्न खातेदारों को भूमि आवंटन की गयी। आराजी नम्बर 369 पैमाईश से पहले का साबिक नम्बर है। अतः पट्टा में आराजी नम्बर 369 दर्ज है, परन्तु आवंटी का कब्जा सुपुर्दगी 1975 को की गयी। खातेदार श्री अम्बालाल, अर्जुनलाल, लक्ष्मी, यशोदा, शोभा पिता डालचन्द, रामीबाई, बेवा डालचन्द 6/7 हिस्सा बराबर, वृषभ, उषा पिता माणकचन्द, प्रेमलता पत्नी माणकचन्द 1/7 हिस्सा बराबर खटीक की भूमि का आवंटन मिश्रल नम्बर 1788/71 व आवंटन आदेश 2406 दिनांक 01.05.1976 से श्री डालचन्द पिता भगवानदास खटीक निवासी नाहरमगरा को मौसा 369 रकबा 3 बीघा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा किया गया। बाद आवंटन आवंटी को कब्जा सुपुर्दगी सन् 1975 में की गई तब तक पैमाईश का नया रेकर्ड आ चुका था मौका पर्चा कब्जा सुपुर्दगी 30.6.1975 का दस्तावेजों के साथ संलग्न है, जिसमें डालचन्द को कब्जा सुपुर्दगी 1438 में दिया गया। जबकि आवंटी का नामान्तरण पटवारी द्वारा साबिक नम्बर 369 से किया गया। जो नामान्तरकरण संख्या 1069 दिनांक 31.10.1977
10. को खसरा नम्बर 369 किस्म बिलानाम गैर काश्त से नामान्तरण दर्ज किया गया। कब्जा सुपुर्दगी व आवंटन के समय मूल गांव नाहरमगरा ही था। सन् 2000 में नाहरमगरा के बिलानाम हाल आराजी संख्या 369, 1438, 1440, 2615 आदि वनखण्ड नाहरमगरा घोषित करते हुए वन विभाग के नाम दर्ज हो गयी।
11. सन् 2008 में मूल गांव नाहरमगरा के अलावा तीन नये गांव धुणीमाता, बजाजनगर, कुण्डाल बनाये गये। साबिक नम्बर 369 से नामान्तरण दर्ज होने से खातेदारों की भूमि नाहरमगरा में दर्ज हो गयी। कब्जा सुपुर्दगी हाल नम्बर

1438 में होने से कब्जा आराजी नये राजस्व ग्राम कुण्डाल में दर्ज हो गयी। वन विभाग की ओर से क्षेत्रीय वन अधिकारी मावली ने बहस में बताया कि वर्तमान ग्राम नाहरमगरा के अलावा तीन ग्राम धुणीमाता, बजाजनगर, कुण्डाल बना दिये उन्होंने बताया कि उन खसरो को वन विभाग के नाम दर्ज किया। वादी की ओर से तहसीलदार मावली ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना डिजीटल इण्डिया लैण्ड रेकार्ड मोर्डनाईजेशन प्रोग्राम चल रहा है, अतः इसके तहत सभी खसरो की तरमीम का कार्य किया जाना है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि खातेदार श्री अम्बालाल, अर्जुनलाल, लक्ष्मी, यशोदा, शोभा पिता डालचन्द, रामीबाई बेवा डालचन्द 6/7, हि.ब. वृषभ, उषा पिता माणकचन्द, प्रेमलता पत्नी माणकचन्द 1/7 हि.ब. खटीक के नाम दर्ज भूमि आराजी नम्बर 4943/369 में 3 बीघा भूमि को नाहरमगरा से विस्थापित कर कुण्डाल के आराजी नम्बर व वर्तमान में मौके के कब्जे अनुसार आ.न. 5106/1438 में प्रतिस्थापित कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाती है। ग्राम कुण्डाल के आराजी नम्बर 5106/1438 से कम होने वाला रकबा ग्राम नाहरमगरा की आराजी संख्या 5105/369 वन विभाग में जोडा जावे ताकि वन विभाग का रकबा बराबर रहे। तहसीलदार मावली रेकार्ड में अमल दरामद व तरमीम करते वक्त वन विभाग को सूचित कर कार्यवाही करे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री अम्बालाल पिता डालचन्द खटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
2. श्री अर्जुनलाल पिता डालचन्द खटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
3. श्रीमती लक्ष्मी पिता डालचन्दखटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
4. श्रीमती यशोदा पिता डालचन्द खटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
5. श्रीमती शोभा पिता डालचन्द खटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
6. श्रीमती रामीबाई पत्नी डालचन्दखटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
7. श्री वृषभ पिता माणकचन्द खटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
8. श्रीमती उषा पिता माणकचन्द खटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
9. श्रीमती प्रेमलता पत्नी माणकचन्द खटीक निवासी नाहरमगरा तह.मावली।
10. उपवन संरक्षक (उत्तर) वन विभाग, उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 06/20 (वाद)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाड़िया R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि खातेदार श्री अम्बालाल, अर्जुनलाल, लक्ष्मी, यशोदा, शोभा पिता डालचन्द, रामीबाई बेवा डालचन्द 6/7, हि.ब. वृषभ, उषा पिता माणकचन्द, प्रेमलता पत्नी माणकचन्द 1/7 हि.ब. खटीक के नाम दर्ज भूमि आराजी नम्बर 4943/369 में 3 बीघा भूमि को नाहरमगरा से विस्थापित कर कुण्डाल के आराजी नम्बर व वर्तमान में मौके के कब्जे अनुसार आ.न. 5106/1438 में प्रतिस्थापित कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाती है। ग्राम कुण्डाल के आराजी नम्बर 5106/1438 से कम होने वाला रकबा ग्राम नाहरमगरा की आराजी संख्या 5105/369 वन विभाग में जोडा जावे ताकि वन विभाग का रकबा बराबर रहे। तहसीलदार मावली रेकार्ड में अमल दरामद व तरमीम करते वक्त वन विभाग को सूचित कर कार्यवाही करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.08.2020 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)

सहायक कलक्टर

(SDO) मावली

